दां.प्रकी.(जमा.) 4438/2004

08.12.2004

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री संदीप मेहता,
जन अभियोजक श्री अशोक उपाध्याय, उपस्थित।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी का तर्क है कि इस प्रकरण में सहअभियुक्त के बयान एवं बद्रीदास और जीवराज के बयानो के आधार पर अभियुक्त-प्रार्थी रामनिवास को गिरफ्तार किया गया है और उसके विरूद्ध चार्जशीट 8/29 स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई थी। उनका तर्क है कि बद्रीदास और जीवराज के बयान न्यायालय में हो चुके हैं और उन्होंने अपने बयानो में अभियोजन पक्ष की ताईद नहीं की न रामनिवास को बद्रीलाल के मकान में जाना और न ही थैला आदि देने के बारे में बयान दिए हैं। इस प्रकार उनका तर्क है कि अभियुक्त के विरूद्ध ऐसी कोई वैध साक्ष्य नहीं है जो उसे अपराध से जोड़ सके। अत: अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की इस्तदुआ की गई।

योग्य जन अभियोजक ने यह स्वीकार किया कि बद्रीदास और जीवराज की साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध थी जो पक्षद्रोही हो चुके हैं, मगर सहअभियुक्त द्वारा मौके पर यह बताया गया था कि रामनिवास से वह अफीम लाया है, इस परिस्थिति पर विचार किया जावे एवं अभियुक्त की जमानत नहीं ली जावे।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। जहां तक सहअभियुक्त के द्वारा पुलिस के सामने दिए गए बयान का प्रश्न है, दूसरे अभियुक्त के वियद्ध साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता। जहां तक स्वतंत्र साक्ष्य का प्रश्न है, बद्रीदास और जीवराज, जिन पर अभियोजन पक्ष विश्वास करके आया था, ये दोनों ही गवाह पक्षद्रोही हुए हैं और अभियोजन पक्ष की मदद नहीं करते और रामनिवास का दिनेश को कोई अफीम देना प्रमाणित नहीं करता। इसके अलावा अन्य कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है जो अभियुक्त को अपराध से जोड़ सके।

उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए धारा 37 के तहत इस प्रकरण में विशिष्ठ आधार पाए जाते हैं कि अभियुक्त को उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर दोषी करार नहीं दिया जा सकता। इन परिस्थितियों को देखते हुए बिना गुणावगुण पर राय दिए अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के मैं उचित आधार पाता हूं।

इस आदेश में जो भी टिप्पणी की गई है, प्रकरण के मेरिट पर कोई विपरीत असर नहीं डालेगी और विशिष्ठ न्यायाधीश कानून अनुसार प्रकरण का निस्तारण करने को स्वतंत्र होंगे।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी रामनिवास पुत्र खेमराज पाटीदार योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जावे, उपस्थिति हेतु, बीस हजार रूपए का बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार रूपए की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार)

जी.एन.शर्मा